



प्रेषक,

कमलेश कुमार,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 15 मई, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी नीटू पुत्र श्री बनारसी, निवासी जनपद-सहारनपुर की स्थायी नीति के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-35825/प्र0(6)/256/(शिक्षक दिवस-25), दिनांक 12.09.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।
2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी नीटू पुत्र श्री बनारसी, जो कुतुबपुर भुखरी, थाना-बेहट, जनपद-सहारनपुर का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक-16.07.2008 को अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दहेज की मांग पूरी न होने के कारण अपने भाई की पत्नी रूबीना की जलाकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं० 795/2008 में भा0द0वि0 की धारा- 302/34 व 3/4 डी०पी० एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०-02, सहारनपुर के दण्डादेश दिनांक 05.02.2010 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 08.04.2019 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए मा० सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 05.09.2025 तक अपरिहार 16 वर्ष, 03 माह, 07 दिन एवं सपरिहार 20 वर्ष, 00 माह, 21 दिन की सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा उल्लिखित किया गया है कि बन्दी द्वारा दहेज की मांग पूरी न होने के कारण मिट्टी का तेल डालकर अपनी भाई की पत्नी की जलाकर हत्या करने जैसा घृणित, जघन्य व सम्पूर्ण मानवता को शर्मसार करने वाला अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। अतएव बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता तथा समाज को प्रभावित करने वाले अपराध के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में गम्भीरता पूर्वक विचार करते हुये शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त, 2018 एवं यथासंशोधित शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28 जुलाई 2021, संशोधित शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी/2018 दिनांक-27.05.2022 के प्रस्तर-12 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी नीटू पुत्र श्री बनारसी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी नीटू पुत्र श्री बनारसी (बंदी संख्या-49335) निवासी जनपद-सहारनपुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-513/2026/1962(1)/22-2-2025 तददिनांक..

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर।
- 2- वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर।
- 3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
- 4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।